न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 148/2008/75 एलआर एक्ट

1. बलवंत पुत्र हरजीराम जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बजरंग पुत्र गुगनराम जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. ताराचंद पुत्र गुगनराम जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रामस्वरूप पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रमनपाल पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. कनीराम पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार टिब्बी।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.05.2008 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 14/07 अनवानी बलवंत आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलांट

श्री श्योप्रकाश जाखड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 5

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–04.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 5 ने न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत गैरदाखिलकारी मे भूमि का आवंटन प्रस्तुत किया जिसमे विचारण न्यायालय ने खातेदारी से इन्कार करते हुए प्रार्थी की आराजी को राज्यहित मे रिज्यूम कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय को प्रार्थी की तीन पीढियों पुरानी आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने का कोई अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू की ओर ध्यान नही दिया कि रकबा प्रार्थीगण का गैर खातेदारी गैर दाखिलकारी का है। जिस पर प्रार्थीगण विरासतन काबिज चले आ रहे है। उक्त रकबा आज किसी को ना तो आवंटित किया जा सकता है व ना ही बहक सरकार रिज्यूम किया जा सकता है। सरकार की ओर तहसीलदार टिब्बी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जो स्पष्ट व सुसंगत है, पर विचारण न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नही दिया। रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से आवंटन के अधिकारी बताए गये है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का गलत अर्थ निकाला की एक बार आवंटन पात्रता की जांच हो चुकी है उस वक्त 15.18 बीघा ही रकबा अलॉट हुआ था, पर क्या शेष रकबा खारिज किया था अगर आवंटन के पात्र ना होते तो रकबा उसी समय बहक सरकार रिज्यूम किया जा सकता था। पर ऐसा नही हुआ। क्योंकि आउट ऑफ जोन के रकबा को पुख्ता आवंटन करने का अधिकार उस समय आवंटन अधिकारी को नही था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को गलत समझ कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि प्रार्थी ने पूर्व आवंटन के तथ्यो को छुपाया है। प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि आउट ऑफ जोन के रकबा को उस समय अलॉट नही किया जाना था ऐसे मे उक्त रकबा शेष रहा जिसे आवंटन के प्रार्थीगण पात्र है। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नही दिया कि रकबा का प्रार्थीगण के पास बतौर गैरदाखिलकार है जिसे खारिज नही किया जा सकता

है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को मौजा श्योदानपुरा के खसरा नं. 280 के 15.18 बीघा का आवंटन पूर्व मे हो चुका है विचारण न्यायालय के समक्ष जो आवंटन चाहा गया था वह भी इसी खसरा का रकबा था आवंटन के लिए एक बार पात्रता की जांच हो चुकी है और जितना रकबा आवंटन योग्य था कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि को प्रार्थीगण तीन पीढियों से गैरदाखिलकारी की भूमि होना बताते है परन्तु इसके विधिवत आवंटन हेतु निश्चित समय सीमा मे आवंटन का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र मे नही देने का कोई सन्तोषजनक कारण नही बताया है। हालांकि इस न्यायालय से इसी खसरा की 15.18 भूमि आवंटन हुई है, उस समय भी प्रार्थीगण ने इस भूमि के आवंटन हेतु निवेदन नही किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सद्भावी नही है क्योंकि प्रार्थीगण ने पूर्व मे आवंटित हुई भूमि के तथ्य को छिपाया है जबकि इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 637/94 मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.99 से इसी खसरा नं. 280 की 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि शर्त संख्या 9(ग) के तहत आवंटित हो चुकी है। अब उसी खसरो की 8.0 बीघा के आवंटन हेतु दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया

है।प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र मे नही दिया है तथा पूर्व की धारित भूमि का कोई खुलासा भी नही किया है। गैरदाखिलकार काश्तकार को भूमि आवंटन करते समय निर्धारित शर्तो के अनुरूप पात्रता तय की जाती है जो पूर्व मे तय होकर आवंटन हो चुका है अब नए सिरे से आवंटन की पात्रता का कोई औचित्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा प्रश्नगत भूमि राज्यहित मे निहित की जाती है। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र बाबत गैरदाखिलकारी मे भूमि का आवंटन खारिज किया गया है, जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने के से खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2008 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ